Institute for Ecology and Livelihood Action

ESTD. 2015

IELA/2020/Letter_ESZ/02

दिनांक: 21 अगस्त 2020

श्रीमान सचिव महोदय
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली - 110003

सन्दर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना (CG-DL-E-22062020-220085, प्रकाशन दिनांक 22 जून, 2020), जिला राजसमंद, पाली और उदयपुर के राजस्थान राज्य में कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 5.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सन्दर्भ में।

विषय - उपरोक्त सन्दर्भ में आपत्ति तथा सुझाव प्रस्तुत करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भान्तर्गत विषय में प्रस्तुत आपत्तियां एवं सुझाव अनुलग्नक -1 में बिंदुवार प्रस्तुत हैं।

आशा है की प्रस्तुत बिंदुओं पर मंत्रालय द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा

भवदीय

Viren Lobo
Managing Trustee
Institute for Ecology and Livelihood Action

Head Office : H.No.417/24, EDEN, RANI ROAD, NEAR SANJAY PARK UDAIPUR-313001 (RAJ.) E-mail : ielaindia15@gmail.com
Branch Office : 38, Pathon ki Magri, Near Sevashram Chauraha, Udaipur, Rajasthan, INDIA.
Pin Code : 313002 Contact : +91 9460573746, 9461707880 , 9828270661

अनुलग्नक-1

सन्दर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना (CG-DL-E-22062020-220085, प्रकाशन दिनांक 22 जून, 2020), जिला राजसमंद, पाली और उदयपुर के राजस्थान राज्य में कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) से 5.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित किये जाने के सन्दर्भ में।

विषय - उपरोक्त सन्दर्भ में आपत्ति तथा सुझाव प्रस्तुत करने हेतु।

उपरोक्त सन्दर्भ के विषय में प्रस्तुत आपत्तियां एवं सुझाव निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं -

1. संदर्भित अधिसूचना में 'प्रारूप अधिसूचना' के सन्दर्भ में -

1.1. यह कि, संदर्भित अधिसूचना में 'प्रारूप अधिसूचना' के अंतर्गत जो विवरण दिया गया है वह केवल कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के वानस्पतिक एवं जीव-जंतुओं के विवरण से सम्बंधित है जबकि प्रस्तावित सीमा क्षेत्र में निवास करने वाली मानव जनसँख्या तथा पालतू पशु जनसँख्या के सन्दर्भ में किसी भी जानकारी / तथ्यों का विवरण नहीं है, यहाँ तक कि सम्पूर्ण अधिसूचना में कहीं नहीं है, मात्र उपाबंध-IV में भू-निर्देशांकों के साथ ग्रामों की सूची दी गयी है ।

1.2. यह कि, अधिसूचना के अंतर्गत उपाबंध-IV के अनुसार प्रस्तावित सीमा क्षेत्र में 258 ग्राम आते हैं, जो कि 03 जिलों में विस्तारित हैं, इनमें निवास करने वाली मानव जनसँख्या तथा पालतू पशु जनसँख्या लाखों में है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा घूमन्तु पशुपालकों का है और आदिवासी समुदाय का है जो कि क्रमशः पशुपालन (चराई सहित) तथा सीमान्त कृषि पर आजीविका हेतु निर्भर है। यह कोई छोटी संख्या नहीं है, जिसके भविष्य पर पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचित किये जाने के बाद अवश्य प्रभाव पड़ेगा, अतः इन ग्रामों की जनसांख्यिकी, पशु आबादी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, भू-उपयोग, राजस्व वन भूमि, आजीविका-जीवनयापन हेतु प्राकृतिक संसाधनों (वन क्षेत्र सहित) पर निर्भरता, वन क्षेत्र द्वारा इन ग्रामों की मानव एवं पशु आबादी को जीवनयापन तथा अन्य प्रयोजनों हेतु प्राप्त होने वाली 'पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं' (इकोसिस्टम सर्विसेज) इत्यादि के बारे में आधारभूत जानकारी और आंकड़ों का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है जो कि नितांत आवश्यक है । यदि ऐसा कोई दस्तावेजीकरण किया गया है तो (प्रारूप अधिसूचना पर विचार किये जाने से पहले) उसे सार्वजानिक किया जाना और सम्बंधित हितधारकों (ग्राम सभाओं) से उसके बारे में पुष्टी किया जाना आवश्यक है और यदि नहीं किया गया है, तो सम्बंधित ग्रामसभाओं के परामर्श में किया जाना आवश्यक है।

2. अधिसूचना के बिंदु. संख्या 1 'पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा' के सन्दर्भ में -

2.1. यह कि, अधिसूचित किये जाने हेतु निर्धारित 'पारिस्थितिकी संवेदी जोन' की सीमा निर्धारण {0 (शून्य) से 5.0 किलोमीटर तक} का आधार क्या रहा है, यह अधिसूचना में स्पष्ट नहीं है। सीमा निर्धारण का प्रस्ताव / सुझाव / तर्क के पैमाने / मापदंड क्या हैं, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

3. अधिसूचना के बिंदु संख्या 2 'पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना' के सन्दर्भ में -

3.1. यह कि, संदर्भित अधिसूचना के बिंदु संख्या 2(1) के अंतर्गत लिखित "स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से" तथा 2(3) के अंतर्गत (i) से (xi) तक सूचित राज्य सरकार के विभागों की सूची से प्रतीत होता है कि भारत सरकार के 'संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम 1992' के अंतर्गत पंचायतों एवं ग्राम सभाओं को दिए गए शक्तियां, प्राधिकार तथा जिम्मेदारियों {विशेषकर अनुच्छेद 243G तथा उसमें जोड़ी गयी 11वीं अनुसूची (29 कार्य विषय) तथा अनुच्छेद 243G(a) तथा 243G(b)} से सम्बंधित प्रावधानों को पूर्णतः अनदेखा किया गया है तथा पंचायत एवं ग्राम सभा को आंचलिक महायोजना से सम्बंधित प्रावधानों में प्रतिनिधित्व तथा निर्णयकारी अधिकारों से वंचित रखा गया है। मात्र सरकारी पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधित्व से आंचलिक महायोजना में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम सभाओं की आवश्यक सहमति से सम्बंधित प्रयोजन पूर्ण होना स्पष्ट नहीं है, अतः प्रस्तावित सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी 258 ग्रामों की पंचायतों तथा ग्राम सभाओं को आंचलिक महायोजना में सम्मिलित करना और आंचलिक महायोजना के प्रारूप को अंतिम सहमति देने के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

4. अधिसूचना के बिंदु संख्या 3 'राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले उपाय' के सन्दर्भ में -

4.1. यह कि, अधिसूचना के बिंदु संख्या 3(1)(क) के अंतर्गत 'पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों' का वृहद् वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाना लिखा गया गया है जबकि इसी बिंदु में (i) से (iv) के अंतर्गत प्रयोजनों हेतु अनुज्ञात करने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान प्रस्तावित सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी 258 ग्रामों के निवासियों के निजी स्वामित्व की भू-संपत्ति एवं संरचनाओं तथा उनके भविष्य में जीवनयापन हेतु उपयोग एवं संपरिवर्तन पर मनमाना अंकुश लगाया जाना प्रतीत होता है, जिसे स्थानीय वासियों के सन्दर्भ में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निजी लघु वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या निजी कुटीर उद्योगों या लघु वन उपज आधारित उद्योगों, या लघु प्रसंस्करण इकाइयों या निजी सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योगों जैसे

क्रियाकलापों हेतु अनुज्ञात किया जाना चाहिए। इसे उपरोक्त बिंदु क्रमांक 2.1 तथा 3.1 के क्रम में भी समझा जाये।

4.2. यह कि, अधिसूचना के बिंदु संख्या 3(1)(ख) के अंतर्गत अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किया जाना है। यह मनमाना निर्णय थोपना जैसा प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपनी निजी स्वामित्व की भूमी पर खेती नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता है तो ऐसी सभी परिस्थितियों में उसके निजी स्वामित्व और वैकल्पिक भू-उपयोग हेतु स्वनिर्णय को अनुज्ञात किया जाना आवश्यक है।

4.3. यह कि, अधिसूचना के बिंदु संख्या 3(1)(ख) के अंतर्गत अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किया जाना को 'अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2 भी) के अनुपालन के सन्दर्भ में भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, क्योंकि सम्बंधित क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे 'व्यक्तिगत वन अधिकार' (IFR) दावे एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR) दावे लंबित हैं/प्रक्रियाधीन हैं। चूँकि वन विभाग द्वारा वन अधिकार दावों पर अधिकतर आपत्तियां लगायी जाकर निरस्त करवाने का प्रयास किया जाता है, साथ ही लंबित हैं/प्रक्रियाधीन दावों के दावेदारों (व्यक्तियों / ग्राम सभाओं) पर भी लगातार दबाव बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, परंपरागत रूप से निर्भर रहते हुए उपयोग की जा रही वन भूमि से बलपूर्वक खदेड़ने, भू-उपयोग न करने देने का प्रयास किया जाता है, ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार हेतु दावा की गयी वन भूमि जिसमें कृषि हेतु प्रयुक्त की जा रही भूमि भी है, को अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक बताकर वन भूमि पर निर्भर अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनके द्वारा प्रयोग की जा रही वन भूमि से वंचित करने का प्रयास किया जा सकता है, ग्राम सभाओं को उनके द्वारा दवा किये गए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दावों (CFR) से वंचित किया जा सकता है। अतः उपरोक्त बिंदु क्रमांक 2.1, 3.1,4.2 तथा 'अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2 भी) के अनुपालन के सन्दर्भ में पहले वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित/प्रक्रियाधीन मामलों की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाये।

4.4. यह कि, अधिसूचना के बिंदु संख्या 3(3)(क) तथा (ख) के अंतर्गत प्रस्तावित पर्यटन महायोजना के सन्दर्भ में भी उपरोक्त बिंदु संख्या 3.1 पर मनन किया जाये।

4.5. यह कि, अधिसूचना के बिंदु संख्या 3(3)(घ) के अंतर्गत पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों सम्बंधित बिंदु (i) अंतर्गत किसी होटल या रिसोर्ट का सन्निर्माण अनुज्ञात न करना और

पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार स्थापना अनुज्ञात करना राजकीय मनमानी प्रतीत होता है जिसे पुनः उपरोक्त बिंदु 3.1 के सन्दर्भ में पुनरावलोकन कर संशोधित किया जाना चाहिए।

4.6. यह कि, अधिसूचना के बिंदु संख्या 3(3)(घ) के अंतर्गत पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों सम्बंधित बिंदु (ii) अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किये जाने का प्रस्ताव है। इस सन्दर्भ में उपरोक्त बिंदु 3.1 के क्रम में उल्लेख है कि स्वयं वन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन में स्थानीय जान समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु 'वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों' (विलेज फारेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमिटी, VFPMC) तथा 'पारिस्थितिकी विकास समितियों (ईको डवलपमेंट कमिटी EDC) के गठन का प्रावधान है, किन्तु इन समितियों के सदस्यों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करते हुए या तो कोई काम नहीं होता या सदस्य सचिव वनपाल द्वारा सरकारी निर्णयों तथा योजनाओं से सम्बंधित क्रियाकलापों को पूरा करवाया जाता है, समिति के स्थानीय सदस्यों को कोई योजना बनाने, सलाह देने, निर्णय करने का अवसर नहीं मिलता। यदि कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में वर्तमान में चलाये जा रहे पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों में पारिस्थितिकी विकास समितियों (EDC) की सक्रिय भागीदारी की वस्तुस्थिति जानी जाये तो तथ्यात्मक जानकारी मिल सकती है। ऐसी स्थिति में पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार के सन्दर्भ में निर्णय लेने में हितधारक पंचायतों, ग्राम सभाओं तथा वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों (VFPMC) व पारिस्थितिकी विकास समितियों (EDC) को प्राथमिकता दी जाये।

5. अधिसूचना के बिंदु संख्या 4 'पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किये जाने वाले क्रियाकलापों की सूची' के सन्दर्भ में -

5.1. यह कि, अधिसूचना के बिंदु संख्या 4 के अंतर्गत सारणीबद्ध क्रियाकलापों में विनियमित क्रियाकलाप के अंतर्गत सारणी क्र.सं. 8 से 17, 19, 21, 23 से 28 से सम्बद्ध टिप्पणियों के सन्दर्भ में उपरोक्त बिंदु संख्या 3.1, 4.4, 4.5 तथा 4.6 के अंतर्गत प्रस्तुत बिंदुओं पर विचार किया जाये और आवश्यक संशोधन किये जाएँ।

5.2. यह कि, अधिसूचना के बिंदु संख्या 4 के अंतर्गत सारणीबद्ध क्रियाकलापों में विनियमित क्रियाकलाप के अंतर्गत सारणी क्र.सं. 11, 12 तथा 17 से सम्बद्ध टिप्पणियों के सन्दर्भ में उपरोक्त बिंदु संख्या 3.1, 4.4, 4.5 तथा 4.6 के अतिरिक्त उपरोक्त बिंदु संख्या 4.3 के

क्रम में 'अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2 भी) के अनुपालन के सन्दर्भ में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित/प्रक्रियाधीन मामलों की प्रक्रिया को पूर्ण पूर्ण किया जाना सुनश्चित करने सम्बंधित एवं वन अधिकार प्राप्त लाभार्थियों को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने देने सम्बंधित प्रावधान सूचित किये जाएँ।

5.3. यह कि, अधिसूचना के बिंदु संख्या 4 के अंतर्गत सारणीबद्ध क्रियाकलापों में संवर्धित क्रियाकलाप के अंतर्गत सारणी क्र.सं. 29 से 39 से सम्बद्ध टिप्पणियों के सन्दर्भ में उपरोक्त बिंदु संख्या 3.1 के अंतर्गत प्रस्तुत बिंदुओं पर विचार किया जाये और सम्बंधित प्रावधान सूचित किये जाएँ।

6. अधिसूचना के बिंदु संख्या 5 'पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति' के सन्दर्भ में -

6.1. यह कि, संदर्भित अधिसूचना के बिंदु संख्या 5 के अंतर्गत प्रस्तावित 'निगरानी समिति' के संगठन में हितधारक ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की भागीदारी नहीं की गयी है। इस तथ्य को उपरोक्त बिंदु क्रमांक 3.1 के क्रम में भी ध्यान दिया जाये एवं हितधारक ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की भागीदारी एवं अंतिम निर्णय करने की शक्तियों से सम्बंधित प्रावधान किये जाएँ।

6.2. यह कि, संदर्भित अधिसूचना के बिंदु संख्या 5 के अंतर्गत प्रस्तावित 'निगरानी समिति' के संगठन में क्र.सं. (ii), (iii) व (iv) के अंतर्गत नामित किये जाने वाले व्यक्तियों / विशेषज्ञों के सन्दर्भ में उपरोक्त बिंदु क्रमांक 3.1 व 4.6 को संदर्भित रखते हुए हितधारक पंचायतों, ग्राम सभाओं एवं वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों व पारिस्थितिकी विकास समितियों के निर्णय को स्वीकार्य माने जाने से सम्बंधित प्रावधान किये जाएँ।

******* समाप्त *******